रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 445] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2015/आषाढ 19, 1937
No. 445] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2015/ ASHADHA 19 , 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2015

सं. 32/2015-सीमा-शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 552(अ)-जबकि कि अभिहीत प्राधिकारी ने दिनांक 28 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग **II**, खंड-(ii) में प्रकाशित दिनांक 28 अक्तूबर, 2013 की अपनी अधिसूचना सं.15/21/2013-डीजीएडी, के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका (यहां जिसे विषयगत देश के रूप में संदर्भित किया गया है) से मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए "फिनोल" (यहां **जिन्हें** विषयगत **वस्तु** के रूप में संदर्भित किया गया है) जो सीमा-शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे यहां **उपर्युक्त** अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2707 99 00 या उपशीर्ष 2907 11 के अंतर्गत आते हैं, के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में दिनांक 3 मई, 2013 को सा.का.नि. सं. 285(अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, **वित्त** मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 3 मई, 2013 की अधिसूचना सं. 10/2013-सीमा-शुल्क (एडीडी) के अंतर्गत लागू किया गया था, को बनाए रखने के मामले की समीक्षा शुरू की थी।

और जबकि केन्द्र सरकार ने भारत के राजपत्र के असाधारण, भाग-।।, खंड-3, उपखंड (i) में दिनांक 12 नवम्बर, 2013 को सा.का.नि. सं. 733(अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, **वित्त** मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 नवम्बर, 2013 की अधिसूचना सं. 29/2013- सीमा-शुल्क (एडीडी) के अंतर्गत, 30 अक्तूबर, 2014 को शामिल करते हुए विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की गई विषयगत वस्तुओं पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क को बनाए रखा था।

और जबकि विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तु के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में पद अभिहीत प्राधिकारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।, खंड-1 में दिनांक 27 अप्रैल, 2015 को प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्ष सं. 15/21/2013-डीजीएडी के अंतर्गत निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि—

(i) विषयगत देश से विषयगत वस्तुएं पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रही हैं;

(ii) विषयगत देश सहित अनेक स्रोतों से पाटित आयातों के संचयी प्रभावों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति उठा रहा है;

(iii)यदि शुल्क हटाया जाता है तो विषयगत देश से पाटन के जारी रहने की संभावना है, परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति जारी रहने की संभावना है।

और यह सिफारिश की है कि विषयगत देशों में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तु के लिए प्रतिपाटन शुल्क का लगाया जाना जारी रखा जाए;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 क की उप-धारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वाक्त निष्कर्षों के आधार पर अग्रोलिखित सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित देश में उद्गमित, उक्त सारणी के स्तंभ (7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा उत्पादित, भारत में आयात किए गए ऐसे मामलों पर, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के उपशीर्ष/ टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दिया गया है,और जिनकी विशिष्टता उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई है, जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तंभ (6) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित देशों से , उक्त सारणी के स्तंभ (8) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए, उक्त सारणी के स्तंभ (11) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित मुद्रा और उक्त सारणी के स्तंभ (10) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रतिमापन इकाई में व्यक्त उक्त सारणी के स्तंभ (9) की तत्स्थानी प्रविष्टि में इंगित संदर्भ राशि के समतुल्य दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है।

सारणी

क्रम सं.	टैरिफ मद/ उपशीर्ष	वस्तु विवरण	विनिर्देशन	उद्गम का देश	निर्यात को देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	2707 9900 या 2907 11	फिनोल	बल्क और अथवा पैक्ड	दक्षिण अफ्रीका	कोई	कोई	कोई	342.76	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
2	2707 9900 या	फिनोल	बल्क और अथवा पैक्ड	प्रतिपाटन शुल्क के दायरे में आने	दक्षिण अफ्रीका	कोई	कोई	342.76	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर

	2907 11			वाले देशों के अलावा अन्य देश						

2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के आशय से, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन में लागू "विनिमय दर" वहीं होगी जो सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा विनिमय की दर के निर्धारण की तारीख वह होगी जो उपर्युक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी ।

[फा.सं. 354/124/2002-टीआरयू (भाग-III]

अक्षय जोशी,अवर सचिव,

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2015

No. 32/2015-Customs (ADD)

G.S.R. 552 (E). —Whereas, the designated authority, *vide* notification No. 15/21/2013-DGAD, dated the 28th October, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, had initiated a review in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of Phenol (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff item 2707 99 00 or sub-heading 2907 11 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from South Africa (hereinafter referred to as the subject country), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 10/2013-Customs (ADD), the 3rd May, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 285(E), dated the 3rd May, 2013;

And whereas, the Central Government had extended the anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject country upto and inclusive of the 30th October, 2014, *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 29/2013-Customs (ADD), dated the 12th November, 2013, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R 733(E), dated the 12th November, 2013;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on import of the subject goods, originating in or exported from the subject country, the designated authority in its final findings, published *vide* notification No. 15/21/2013-DGAD, dated the 27th April, 2015, in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, has come to the conclusion that—

(i) dumping of the subject goods is continuing from the subject country;

(ii) the domestic industry has suffered material injury due to cumulative effects of dumped imports from several sources, including the subject country;

(iii) dumping from the subject country is likely to continue, if the duties are removed, and consequently the domestic industry is likely to continue to suffer material injury,

and has recommended imposition of the anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject country.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, specification of which is specified in column (4), falling under sub-heading/tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (5), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (6), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (7), exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (8), imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (9), in the currency as specified in the corresponding entry in column (11) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (10) of the said Table, namely :—

TABLE

S. No	Tariff item / Sub-heading	Description of goods	Specific-ation	Country of origin	Country of export	Produce r	Export er	Amoun t	Unit	Curren-cy
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	2707 99 00 or 2907 11	Phenol	Bulk and /or Packed	South Africa	Any	Any	Any	342.76	MT	US Dollar
2	2707 99 00 or 2907 11	Phenol	Bulk and /or Packed	Any country other than countries attracting antidumping duty	South Africa	Any	Any	342.76	MT	US Dollar

2.The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the

Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/124/2002-TRU (Pt.-III)]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

CORRIGENDUM

New Delhi, the 10th July, 2015

G.S.R. 553(E).— In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.12/2015-Central Excise (N.T.), dated the 30th April, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 346(E) dated the 30th April, 2015, in page 15, in line 29, *for* "substituted" *read* "inserted".

[F. No. 334/5/2015-TRU]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.